2025:CGHC:18435

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 136/2025

1– धनंजय कुमार पिता श्री प्रभाकर, आयु लगभग 29 वर्ष, शाखा प्रबंधक (1554) कैन फिन होम्स लिमिटेड भिलाई शाखा, चौहान एस्टेट, सुपेला भिलाई– 490001, जिला– दुर्ग (छ.ग.)

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1– कैन फिन होम्स लिमिटेड द्वारा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजीकृत कार्यालय, क्रमांक 29/1, सर एम.एन. कृष्ण राव रोड, बसवांगुडी, बैंगलोर, पिन कोड– 560004 (कर्नाटक)

2– महाप्रबंधक मानव संसाधन विकास विभाग, कैन फिन होम्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, क्रमांक 29/1, सर एम.एन. कृष्णा राव रोड, बसवांगुडी,बैंगलोर, पिन कोड– 560004 (कर्नाटक)

3– सहायक महाप्रबंधक कैन फिन होम्स लिमिटेड, जोनल ऑफिस, डी. नं. 56–6–515, 4वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 21, पंतकालुवा रोड, लोटस हाइट्स, विजयवाड़ा, पिन कोड– 520010 (आ.प्र.)

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद–शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री उत्तम पाण्डेय एवं श्री विकास कुमार बाजपेयी, अधिवक्तागण
उत्तरवादीगण की ओर से	: श्री हर्षवर्धन परगनिहा, अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु)

बोर्ड पर आदेश

23/04/2025

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता दिनांक 01/01/2025 (अनुलग्नक पी/12) के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके अन्तर्गत याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता उत्तरवादी प्राधिकारियों को उसे उत्तरवादी बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में अपनी सेवा जारी रखने के लिए निर्देश देने की भी मांग कर रहा है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी बैंक में प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, उसकी सेवाएँ स्थायी की गई। याचिकाकर्ता की सेवा अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से कथित गैर–अनुपालन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने हेतु उसे

कई सूचनाएँ जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और इसी मध्य, उसे रायपुर से भिलाई स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि याचिकाकर्ता को बार–बार सूचनाएँ जारी की गई थी । इसलिए याचिकाकर्ता ने सेवा से इस्तीफा दे दिया, यद्यपि,उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अवैध और मनमाने तरीके से बर्खास्तगी आदेश पारित किया गया है।

3. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान रिट याचिका इस आधार पर संधाणीय नहीं है कि उत्तरवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन एक 'राज्य' नहीं है। उत्तरवादी क्रमांक 1 की गतिविधियाँ, संरचना और प्रकृति किसी भी प्रकार के व्यापक शासकीय नियंत्रण या लोक कार्यों के प्रदर्शन का संकेत नहीं देती है जो इसे अनुच्छेद 12 के परिधि में लाएगी, अतः, संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट अधिकारिता को वर्तमान प्रकरण में उत्तरवादीगण के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक 01 कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक कंपनी है, और इसलिए एक भिन्न वैधानिक इकाई के रूप में कार्य करती है। कंपनी अधिनियम के अधीन इसके निगमन का तथ्य ही इसकी स्वतंत्र प्रकृति को स्थापित करता है और इसे किसी भी शासकीय या लोक निकाय से भिन्न करता है जो भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 12 के अधीन "राज्य" के परिधि में आ सकता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उत्तरवादी एक लोक क्षेत्र का बैंक है, जिसके पास केवल 29.99% शेयरधारिता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिवचनों सहित दस्तावेजों का भी परिशीलन किया है।

5. याचिकाकर्ता के परिवाद को लोक विधि के अधीन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रति–शपथपत्र का सार यही है। याचिकाकर्ता इस तर्क का खंडन नहीं करता है और न ही यह साबित करता है कि उत्तरवादी केनरा बैंक के गहन और व्यापक नियंत्रण में है।

6. परिस्थितियों में और **प्रदीप कुमार बिस्वास विरुद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, (2002) 5 एससीसी 111** में संविधान पीठ के निर्णय और **शहीद बेगम विरुद्ध प्राचार्य, सैनिक स्कूल, सिकंदराबाद, 2005 (6) एएलडी 312 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** के निर्णय के दृष्टिगत, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उत्तरवादी न तो 'राज्य' है और न ही राज्य के साधन के रुप में है और उत्तरवादी के साथ याचिकाकर्ता का सेवा परिवाद अनुच्छेद 226 के अधीन नहीं माना जा सकता है।

7. कैन फिन होम्स की शेयर होल्डिंग से ज्ञात होता है कि कैनरा बैंक और कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की कैन फिन होम्स में कुल मिलाकर 51% से कम शेयर होल्डिंग थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है

कि कैन फिन होम्स को शासकीय कंपनी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कैनरा बैंक और कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की कुल मिलाकर 51% से कम शेयरधारिता है।

8. **अजय हसिया विरुद्ध खालिद मुजीब सेहरावर्दी (1981) 1 एससीसी 7222** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 9 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

> 9) यह अवधारित करने हेतु जांच कि कब किसी निगम को शासकीय साधन या अभिकरण कहा जा सकता है, अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण प्रकरण में पारित निर्णय से निकाले जा सकते हैं। ये जांच निर्णायक या पूख्ता नहीं हैं, बल्कि वे केवल सांकेतिक संकेत हैं जिनका उपयोग सावधानी और सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि "अन्य प्राधिकरण" अभिव्यक्ति पर व्यापक अर्थ की आवश्यकता पर बल देते हुए, यह अनुभव किया जाना चाहिए कि इसे इतना आगे नहीं फैलाया जाना चाहिए कि हर स्वायत्त निकाय जिसका शासन के साथ कुछ संबंध है, अभिव्यक्ति के परिसीमा में आ जाए। अर्थ के व्यापक विस्तार को एक उचित परिसीमा द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण प्रकरण में निर्णय से एकत्रित सुसंगत जांचों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:
>
> (1) एक बात स्पष्ट है कि यदि निगम का सम्पूर्ण शेयर पूंजी शासन के पास है, तो यह यह इंगित करने में काफी हद तक सहायक होगा कि निगम शासन का साधन या अभिकरण है। (एससीसी पृष्ठ 507, पैरा 14)
>
> (2) जहां राज्य की वित्तीय सहायता इतनी अधिक है कि निगम का लगभग पूरा व्यय पूरा हो जाता है, तो इससे निगम के शासकीय आचरण से प्रभावित होने का कुछ संकेत मिलता है। (एससीसी पृष्ठ 508, पैरा 15)
>
> (3) यह भी एक सुसंगत कारक हो सकता है... कि क्या निगम को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है जो राज्य द्वारा प्रदत्त है या राज्य द्वारा संरक्षित है। (एससीसी पृष्ठ 508, पैरा 15)
>
> (4) गहन और व्यापक राज्य नियंत्रण का अस्तित्व इस बात का संकेत दे सकता है कि निगम एक राज्य अभिकरण या साधन है। (एससीसी पृष्ठ 508, पैरा 15)
>
> (5) यदि निगम के कार्य लोक महत्व के हैं और शासकीय कार्यों से निकटता से संबंधित हैं, तो यह निगम को शासन के साधन या अभिकरण के रूप में वर्गीकृत करने में एक सुसंगत कारक होगा। (एससीसी पृष्ठ 509, पैरा 16)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) "विशेषतः, यदि शासन का कोई विभाग किसी निगम को अंतरित किया जाता है, तो यह निगम के शासन का साधन या अभिकरण होने के इस अनुमान का समर्थन करने वाला एक पुख्ता कारक होगा।" (एससीसी पृष्ठ 510, पैरा 18)

यदि इन सुसंगत कारकों पर विचार करने पर यह पाया जाता है कि निगम शासन का साधन या अभिकरण है, तो यह, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण प्रकरण में बताया गया है, एक 'प्राधिकरण' होगा और इसलिए, अनुच्छेद 12 में अभिव्यक्ति के अर्थ में 'राज्य' होगा।

9. वर्तमान प्रकरण उत्तरवादी द्वारा अपने कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का है। याचिकाकर्ता की बैंक में सेवा समाप्त की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका प्रस्तुत करके बैंक की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता बैंक की ओर से कोई वैधानिक कर्तव्य लागू करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए तथा ऊपरोक्त वर्णित कारणों से, इस न्यायालय की सुविचारित अभिमत में यह याचिका यथावत रखे जाने योग्य न होने के कारण **खारिज** की जाती है। यद्यपि, याचिकाकर्ता को ऐसे अन्य युक्तियुक्त उपायों को अपनाने की स्वतंत्रता है जो उसे विधि के अधीन उपलब्ध हो। वाद–व्यय हेतु कोई आदेश नहीं।

सही/–

(बिभु दत्त गुरु)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**